निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 फाल्गुन 1936 (श0)

(सं0 पटना 354) पटना, मंगलवार, 10 मार्च 2015

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद
विद्यापति मार्ग, पटना–800001

अधिसूचना
4 फरवरी 2015

सं0 1469––श्री राधाकृष्ण मन्दिर, कुंज भवन, गोलाघाट, भागलपुर पर्षद के तहत एक निबंधित न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या–549/1957 है। इस न्यास से संबंधित सी0 डब्लु0 जे0 सी0 संख्या–3738/2006 में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 15.03.2011 को पारित आदेश के आलोक में पर्षद द्वारा संबंधित पक्षों की सुनवाई की गई। अधिनियम की धारा–28 (2) (प) के तहत उभय पक्षों की सुनवाई के पश्चात् पर्षद द्वारा दिनांक 25.06.2012 को पारित आदेश में इसे सार्वजनिक न्यास घोषित किया गया। साथ ही इस न्यास में रिक्तता की स्थिति रहने के कारण पर्षदीय पत्रांक–679, दिनांक 14.7.2012 द्वारा बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 (1951 का प्रथम कानून) की धारा–33 के अन्तर्गत जिला पदाधिकारी, भागलपुर को अस्थायी न्यासधारी नियुक्त किया गया। इसी बीच विमला देवी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एक सी0 डब्लु0 जे0 सी0 संख्या–13077/2014 दायर किया गया। उक्त याचिका में दिनांक 08.01.2015 को माननीय खण्ड पीठ ने पर्षद को चार सप्ताह के अन्दर इस न्यास के लिए एक न्यास समिति गठित करने का निर्देश दिया है।

पर्षदीय पत्रांक–1359, दिनांक 13.01.2015 द्वारा जिला पदाधिकारी, भागलपुर से आग्रह किया गया कि चूंकि अधिनियम में संशोधन के बाद अस्थायी न्यासधारी का कार्यकाल एक वर्ष तक ही सीमित है, जो पूरा हो चुका है, इसलिए इस न्यास के समुचित प्रबंधन हेतु एक न्यास समिति के गठन के लिए स्वच्छ छवि के 9–11 प्रतिष्ठित सज्जनों का नाम 15 दिनों के अन्दर भेजें। जिला पदाधिकारी, भागलपुर ने अपने पत्रांक–17 (प्र0)/विधि दिनांक 28.01.2015 द्वारा सी0 डब्लु0 जे0 सी0 संख्या–13077/2014 में पारित आदेश के आलोक में अनुपालन करने का अनुरोध किया है।

चूंकि अस्थायी न्यासधारी के एक वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो गया है और माननीय पटना उच्च न्यायालय के खण्डपीठ द्वारा दिनांक 08.01.2015 के आदेश में चार सप्ताह के अन्दर न्यास समिति के गठन का निर्देश दिया गया है, अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा–32 के तहत श्री राधा कृष्ण मन्दिर, कुंज भवन, गोलाघाट, भागलपुर के सुचारू प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा एवं संरक्षण तथा सम्यक् विकास हेतु एक न्यास समिति के गठन का निर्णय लिया गया है।

अतएव बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा–32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्राप्त अधिकार, जो धार्मिक न्यास की उप विधि सं0–43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए श्री राधाकृष्ण मन्दिर न्यास, कुंज भवन, गोलाघाट, भागलपुर के सुचारू प्रबंधन, परिसम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक् विकास हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए एक न्यास समिति का गठन किया जाता है।

योजना

(1) अधिनियम की धारा–32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम **"श्री राधाकृष्ण मन्दिर कुंज भवन न्यास योजना"** होगा तथा इसे मूर्त्त रूप देने एवं क्रियान्वयन के लिए पर्षद द्वारा गठित न्यास समिति का नाम **"श्री राधाकृष्ण मन्दिर न्यास समिति, कुंज भवन, गोलाघाट, भागलपुर"** होगा।

(2) श्री राधाकृष्ण मन्दिर एवं इसकी समग्र चल–अचल सम्पत्तियों के प्रबंधन, संचालन एवं प्रशासन का अधिकार श्री राधाकृष्ण मन्दिर न्यास समिति, कुंज भवन, गोलाघाट, भागलपुर में निहित होगा।

(3) इस न्यास समिति का प्रथम दायित्व न्यास का प्रभार अबिलम्ब ग्रहण कर मन्दिर में परम्परागत पूजा–अर्चना, राग–भोग, उत्सव समैया आदि समस्त धार्मिक आचारों का सम्यक् प्रबंधन सुनिश्चित करना होगा।

(4) अध्यक्ष की अनुमति से सचिव प्रत्येक तिमाही में समिति की बैठक बुलायेंगे। बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष करेंगे तथा निर्णय बहुमत से होगा।

(5) न्यास समिति के सचिव समिति द्वारा पारित प्रस्तावों/निर्णयों को मूर्त्तरूप देने के लिए उत्तरदायी होंगे और कोषाध्यक्ष लेखा संधारण एवं पर्यवेक्षण के लिए जबाबदेह होगें।

(6) मंदिर में प्राप्त होने वाली समग्र राशि का लेखा संधारण किया जोयगा और वार्षिक अंकेक्षण कराया जायेगा जिसकी एक प्रति पर्षद को भेजी जायेगी।

(7) मंदिर परिसर में जगह–जगह भेंट–पात्र रखें जायेगें, जिसमें दान एवं चढावे की राशि डाली जायेगी जो निर्धारित तिथि को न्यास समिति द्वारा अधिकृत दो सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और सही गणना कर सत्यापित पंजी में प्रविष्टि के बाद बैंक खाते में जमा की जायेगी।

(8) न्यास परिसर में आयोजित होने वाले सभी धार्मिक एवं मांगलिक संस्कारों के लिए निर्धारित राशि ही ली जायेगी जिसका प्राप्ति रसीद दिया जायेगा और सम्यक् लेखा संघारण होगा।

(9) न्यास की समग्र आय समीप के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा, जिसका संचालन दो सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा।

(10) न्यास समिति का कोई सदस्य यदि न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो उनके सदस्य बने रहने की अर्हता समाप्त हो जायेगी।

(11) न्यास समिति न्यास की आय–व्यय में शुचिता एवं पारदर्शिता रखेगी।

(12) न्यास समिति अधिनियम एवं उपविधि में वर्णित नियमों का अनुपालन करते हुए न्यास की आय–व्यय विवरणी, बजट, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्यवृत्त एवं पर्षद को देय शुल्क की राशि का सम्यक् प्रेषण करेगी।

(13) इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन, संशोधन या आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

(14) कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझे जाने पर, इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में एतद् विषयक प्रस्ताव पारित कर समिति द्वारा पर्षद के अनुमोदन के लिए भेजी जायेगी।

(15) न्यास समिति का कोई सदस्य प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से लाभ उठाते हुये पाये जायेंगे अथवा उनका कोई आपराधिक पृष्टभूमि होगा तो उनकी अर्हता समाप्त हो जायेगी।

उपर्युक्त योजना को मूर्त्तरूप देने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की न्यास समिति गठित की जाती है :–

(1) श्री विजय कुमार मंडल, सेवा निवृत अपर जिला न्यायाधीश — अध्यक्ष
रामसर, भागलपुर

(2) श्री सुनील कुमार झुनझुनवाला — सचिव
मारवाड़ी गली, भागलपुर

(3) डा0 आलोक भारती, – सदस्य
बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर

(4) डा0 आर0 पी0 उपाध्याय, – सदस्य
प्रति उप–कुलपति (प्रो0 भी0 सी0), नालन्दा खुला विश्वविद्यालय, पटना

(5) श्री सुनील रंजन पाण्डेय, बुढ़ानाथ, भागलपुर – सदस्य

(6) श्री राधाकृष्ण दास – सदस्य
लाल कोठी, ततारपुर, भागलपुर

(7) डा0 अरूण कुमार सिंह – सदस्य
विभागाध्यक्ष, बोटेनी, तिलका मांझी विश्वविद्यालय, भागलपुर

यह योजना तत्काल प्रभाव से लागू होगा और इसका कार्यकाल 05 वर्षो का होगा, किन्तु एक वर्ष के पश्चात् इसके कार्यो की समीक्षा की जायेगी और संतोषप्रद पाये जाने पर न्यास समिति की निरन्तरता कायम रहेगी।

अभी इस न्यास समिति में सात सदस्य रखे जाते है। भविष्य में व्यापक प्रतिनिधित्व देने के लिए न्यास समिति के सदस्यों की संख्या बढ़कार 11 (ग्यारह) तक की जायेगी।

आदेश से,

किशोर कुणाल,

अध्यक्ष।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 354-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in